

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

संख्या-06/प्र०-02(प्र०/कार्य०)-05/2024-

/पटना, दिनांक-

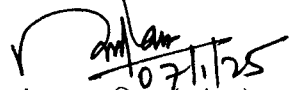
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के तहत दिनांक 22.11.2024 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में:-

- क) विभागान्तर्गत अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियों को विहित वेतनमान सहित उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किये जाने संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या-05/पी०-01-10-02/2023-2755 दिनांक 19.10.2023 की कंडिका-3 को विलोपित किया जाता है।
- ख) विभागान्तर्गत अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियों को विहित वेतनमान सहित उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किये जाने संबंधी निम्नांकित विभागीय अधिसूचनाओं की कंडिका-5 को विलोपित किया जाता है :-
1. अधिसूचना संख्या-05/पी०-01-10-03/2023-2760 दिनांक 22.10.2023,
 2. अधिसूचना संख्या-05/पी०-01-10-04/2023-2761 दिनांक 22.10.2023,
 3. अधिसूचना संख्या-05/पी०-01-10-05/2023-2762 दिनांक 22.10.2023,
 4. अधिसूचना संख्या-05/पी०-01-10-05/2023-3059 दिनांक 04.12.2023,
 5. अधिसूचना संख्या-05/पी०-01-10-05/2023-75 दिनांक 12.01.2024,
 6. अधिसूचना संख्या-05/पी०-01-10-02/2023 (अंश-1)-237 दिनांक 06.02.2024,
 7. अधिसूचना संख्या-05/पी०-01-10-02/2023 (अंश-1)-238 दिनांक 06.02.2024,
 8. अधिसूचना संख्या-05/पी०-01-10-02/2023 (अंश-1)-239 दिनांक 06.02.2024,
 9. अधिसूचना संख्या-05/पी०-01-10-05/2023 (अंश-1)-240 दिनांक 06.02.2024,
- ग) विभागान्तर्गत अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियों को विहित वेतनमान सहित उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किये जाने संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या-05/पी०-01-10-05/2023 (अंश-1)-240 दिनांक 06.02.2024 के क्रमांक-1 पर श्री राजेश रंजन कुमार (आई०डी० संख्या-5334) के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित "दिनांक 22.10.2023 से प्रभावी" को "प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है।
- घ) उपर्युक्त अधिसूचनाओं की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।
- ङ) प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा-कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, प्रभारी सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना)/महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (व्यवित्तक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक-3 (भूतल), पुराना सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार तथा आप्त सचिव को दो प्रतियों में/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोग्य संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/भू-सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक (मुख्य अभियन्ता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन आधार सहायक केन्द्र, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना/सभी अधीक्षण अभियन्ता, मोनिटरिंग अंचल, पटना/उड़नदस्ता अंचल-1 एवं उड़नदस्ता अंचल-2, पटना/कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी कोषांगार पदाधिकारी/प्रभारी, एम० आई० एस० कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना [Common integrated website (www.state.bihar.gov.in) पर प्रकाशित करने हेतु]/कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने एवं वित्त विभाग को सी० डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी 06, 07, 08, 11, 15, 16, 20, 22, 23 एवं 24 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव (प्रबंधन)